भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2315
(03 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम योजना

2315. श्री बसंत कुमार पांडाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी/निजी क्षेत्र कंपनियां अपनी सामाजिक कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों (सीएसआर) की गतिविधियों के अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) हेतु निधि खर्च कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना हेतु ओडिशा में सरकारी/निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्गत निधि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके तहत ये कंपनियां अपनी सीएसआर गतिविधियों का निर्वहन करती हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) में कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मौजूदा विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जिनमें तालमेल के जरिए सीएसआर निधि का प्रयोग शामिल है। एसएजीवाई के अंतर्गत माननीय संसद सदस्यों द्वारा गोद लिए गए गांवों के विकास के लिए प्रयुक्त सीएसआर निधि से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख): राज्य सरकार द्वार दी गई सूचना के अनुसार, ओडिशा राज्य में एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के लिए सरकारी/निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनुसूची-VII में उन कार्यकलापों की सूची दी गई है जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीति में शामिल किया जा सकता है, उक्त अधिनियम की अनुसूची-VII की एक प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2315 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अधिनियम की अनुसूची-VIIमें शामिल कार्यकलाप और इसमें किए गए संशोधन

किसी कंपनी द्वारा सीएसआर के अधीन चलाए जाने वाले कार्यकलापों की सूची अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट की गई है। संशोधित अनुसूची-VII को 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कई कार्यकलापों को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में मान्य किया जाए, अनुसूची को अब तक पांच बार संशोधित किया गया है और इस प्रकार इसमें स्वास्थ्य, स्लम क्षेत्र विकास, स्वच्छ भारत कोष में अंशदान और निर्मल गंगा कोष को शामिल किया गया है। **अनुसूची-VII** के अधीन अद्यतन सूची नीचे दी गई है -

(i) भूख, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन; **निवारक स्वास्थ्य देखरेख सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गठित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित स्वच्छता** और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना;

(ii) शिक्षा का संवर्धन, जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषत: बालकों, स्त्रियों, वयोवृद्धों, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाओं का संवर्धन शामिल है;

(iii) लैंगिक समता और स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन, स्त्रियों और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक देखरेख केन्द्रों की स्थापना और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना;

(iv) पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव-जंतुओं का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें **केन्द्र सरकार द्वारा गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए गठित स्वच्छ गंगाकोष में अंशदान करना शामिल ह**।

(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी सम्मिलित हैं, सार्वजिनक पुस्तकालयों की स्थापना करना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास;

(vi) सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेलकूद राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलकूद, पैरालंपिक खेलकूद और ओलंपिक खेलकूद के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण देना;

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों, स्त्रियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए गठित की गई किसी अन्य निधि में अभिदाय;

(ix) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटरों के लिए अंशदान" और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा से जुडे हुए अनुसंधान कार्य में संलग्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संचालन में लगे हुए सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों [भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में स्थापित], भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए अंशदान।

(x) "ग्रामीण विकास की परियोजनाएं।

(xi) स्लम क्षेत्र विकास।

स्पष्टीकरण- इस मद के प्रयोजनार्थ, स्लम क्षेत्र का अर्थ केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत घोषित कोई क्षेत्र होगा।

(xii) राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यकलापों सहित आपदा प्रबंधन।

<u>पाद टिप्पणियां:</u>

दिनांक 27.02.2014 की राजपत्रित अधिसूचना के बाद संशोधनों के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची VII में मद संख्या (xi) और मद सं. (I) और (iv) में तिरछे अक्षरों वाले वाक्यांशों को अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल किया गया है। संशोधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

क) दिनांक 31 मार्च, 2014 को **पहले संशोधन** को अधिसूचित किया गया था जिसमें अनुसूची की मद (i) में **निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल** शामिल थी।

ख) दिनांक 6 अगस्त, 2014 को **दूसरा संशोधन** अधिसूचित किया गया था, जिसमें अनुसूची में मद (xi) के रूप में "स्लम क्षेत्र विकास" को शामिल किया गया था।

ग) दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 को **तीसरा संशोधन** अधिसूचित किया गया था। इसमें (क) अनुसूची की मद सं. (i) में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए स्वच्छ भारत कोष में "योगदान"; और (ख) अनुसूची की मद सं. (iv) में "गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई स्वच्छ गंगा निधि में योगदान" शामिल था।

घ) दिनांक 30 मई 2019 को **चौथा संशोधन** अधिसूचित किया गया, जिसमें "आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यकलापों सहित" को अनुसूची की मद (xii) के रूप में शामिल किया गया।

ड.) दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को **पांचवां संशोधन** अधिसूचित किया गया। इसमें मद (ix) और इसके साथ संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात:- "(ix) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटरों के लिए अंशदान" और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा से जुड़े हुए अनुसंधान कार्य में संलग्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संचालन में लगे हुए सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों [भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में स्थापित], भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए अंशदान। "

*****